रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED No. D.(D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, मंगलवार सितम्बर 29 1987/आश्विन 7, 1909
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1987/ASHVINA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 216 आईटीसी (पीएन)/85-88

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1987

विषय :—1936-87 वर्ष के लिए 38 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से खेल-कूद उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें ।

फा. सं. आईपी सी/23(38)/85-88 :—1986-87 वर्ष के लिए 38 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान के खेलकूद उपकरण आयात करने के लिए शर्तें जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

एस पी. धुपर
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 216 आईटीसी (पी एन)/85-88 दिनांक 29-9-1987 का परिशिष्ट ।

1986-87 वर्ष के लिए 38 मिलियन येन (38,000,000 येन) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के पत्तनों तक उपकरणों को ले जाने के लिए आवश्यक खेलकूद उपकरण और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1(1) 1986-87 के लिए 38 मिलियन येन (लागत एवं भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उपयोग खेलकूद उपकरण और उन्हें भारत में पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए जापानी संविदाओं को भुगतान के लिए राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान द्वारा किया जाएगा।

1(2) आयातक के नाम में कुल येन 42 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) की धनराशि तक के लिए आयात लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और इन पर "1986-87 के लिए येन 38 मिलियन जापानी

अनुदान सहायता" अभिलेख अंकित होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्येय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे एन" होगा ।

1(3) आयात लाइसेंस के मुद्दे विदेशी मुद्रा का प्रेषण अनुमेय नहीं होगा, किन्तु बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जो प्रभार सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं । यदि कोई हो तो, भारतीय एजेन्ट कमीशन का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही एक अंग समझे जाएंगे और अतः लाइसेंसधारी से ही वसूल किए जाऐंगे ।

1(4) इस अनुदान सहायता के अंतर्गत उपस्कर केवल जापान से ही अधिप्राप्त किए जाने चाहिए ।

1(5) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किए जाऐंगे, जिनकी वैधता 31-3-1988 तक होगी ।

1(6) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार अर्थात बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करनी चाहिए । वितरण की अवधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए :—

"वितरण 15-3-1988 तक पूर्ण हो जाना चाहिए"

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत एवं भाड़े के आधार पर (येन में) येन का अंश हटा देना चाहिए) प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, भारतीय अभिकर्ता का कमीशन निकाल देना चाहिए । किसी भी परिस्थितियों में भारतीय अभिकर्ता का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए ।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग से दर्शायी जानी चाहिए, किन्तु संविदा में यह स्वतः स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जायेगा अथवा उसमें दर्शाया गया भाड़ा वास्तविक शर्तों के अतिरिक्त भुगतान की राशि होगा ।

1(8) क्रय संविदा जापानी राष्ट्रिकों द्वारा या जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी न्यायिक व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। संभरक की पात्रता को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) प्रत्येक संवदा में जोड़ा जाना चाहिए ।

खण्ड-2—संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्टरूप से समाविष्ट होना चाहिए ।

2(1) ठेके की व्यवस्था 1986-87 के लिए येन 38 मिलियन के अनुदान सहायता के अनुसार भारत और जापान की सरकारों के बीच हुए 10 अगस्त, 1987 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दोनों सरकारों के अनमोदन के अधीन होगी ।

2(2) संभरकों को भुगतान "भुगतान के प्राधिकार" (ए/पी) के माध्यम से किए जाएंगे । जो 1986-87 के लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाएंगे ।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे एक ओर भारत सरकार एवं दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगे ।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं और इन उद्देश्यों के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत-लदान से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में जहां आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक का प्रत्येक पोत-लदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-3—भारत और जापान की सरकारों द्वारा ठेके का अनुमोदन

3(1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियां जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप से पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार के पूर्ण आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र के (ए/पी) जारी करने के आवेदन" की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी ।

3(2) वित्त मंत्रालय (डी ई ए) जापान अनुभाग 1986-87 के लिए 38 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की दो प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक सैट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत दूतावास, टोकियो को भी भेजेगा ।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग/नार्थ ब्लाक को उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकारी-पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत को दूतावास, टोकियो, आयातक भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो, जापान सरकार, भारत का दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरकों को अपने बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो की देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषित करके निर्णीत किया जाएगा।

खंड 4—रुपया जमा कराने का उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-1 के (ण) में उल्लिखित है, की शाखा होगी, उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात को सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्चे सहित जपानी संभरक को भुगतान कर दिया गया है और इस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 सं. 35/आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है, देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974, सार्वजनिक सूचना सं. 230-आई टी सी (पी एन)/85-88 दिनांक 20-7-87 की शर्तों के अनुसार आयातक द्वारा जमा किया जाने वाला रुपया अगले रुपये के लगभग होगा।

येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अपनाई गई मुद्रा विनिमय की दर मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनिमय की प्रचलित मिश्रित दर या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित दर होगी। इस संबंध में और ब्याज की दर, के संबंध में भी कोई भी परिवर्तन जैसे ही आवश्यक होगा, अधिसूचित किया जायेगा। संबद्ध भारतीय बैंक को इस बात का सुनिश्चिय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करदी गई है। आयातक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है।

यह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक से जमा करवा दी गई है जबकि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में मूल पोतलदान दस्तावेजों के बिना सीमा-शल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त की हो। उस मामले में जब आयातक सरकार को देय धनराशि, माल छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ होता है तो उसे आगे ए/पी जारी करना रोक दिया जाएगा। लेखा शीर्ष जिसमें उपयुक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह है "के"—डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843-सिविल डिपोजिटस—डिपोजिटस फार परचेजिज एटसेट्रा, एग्राउंड-परचेजज अंडर ग्रांट ऐड फ्राम दी गवर्नमेंट आफ जापान फार 1986-87" राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान द्वारा खेलकूद उपकरण सेवाओं के खरीद के लिए अनुदान।

4(2) उपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में चालान के दाहिने कोने में कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में या यदि संभव न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती और प्रेषक) के नाम और उसको देय स्टेट बैंक आफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आदेशक) से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के खाते में नकद जमा करानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68. दिनांक 24-10-68 और सं. 132-

आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 76-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 में द्रष्टव्य है।

4(3) भारत में संबद्ध बैंक भी उपर्युक्त निर्धारित विधि के अनुसार ऐसे अतिरिक्त निक्षेप भेजेगा और जैसे ही सेवा प्रभार के लिए सरकार द्वारा इसकी मांग की जाती है तो इस प्रकार की गई मांग के बाद सात दिनों के भीतर निक्षेप करेगा। चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 और सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ की जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 76-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के "धन प्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" कालम में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए —

(क) वित्त मंत्रालय के "ए/पी" (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) की सं. एवं दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि।

( ) भुगतान किए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है।

(ङ) निक्षेप की गई कुल धनराशि (ब्याज की गणना जापानी संभरक का भुगतान की तिथि से सरकारी लेखें में तुल्य रुपया जमा कराने की तिथि तक करनी है)।

उसके पश्चात सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए ए/पी (भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र) का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो से भुगतान की सूचना और विनियम पोत-परिवहन दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रुपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है और वह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना सी ए ए एण्ड ए, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को दे दी गई है।

4(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—5—विविध प्रावधान

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग पर रिपोर्ट

आयातक को सम्भरक को अदा किए गए भुगतान की राशि और तिथि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आयातक के बैंक द्वारा पोतलदान आदि दस्तावेजों को बाद में या देरी से प्राप्ति को रुपया निक्षेप पर देय ब्याज की आंशिक या पूरी धनराशि को माफ करने के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में ए/पी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

5(2) आयातक को इस अनुदान सहायता के अधीन मदों के आयात के संबंध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त साफ-साफ भुगतान के नियमन के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

5(4) भविष्य अनुदेश

आयात या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1986-87 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपरोक्त प्रावधानों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध—1 ए/पी जारी करने के लिए आवेदन पत्र

अनुबन्ध—2 ए/पी का प्रपत्र

अनुबन्ध—1

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

सं. ——————————

सेवा में

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :—1986-87 के लिए 38 मिलियन की जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत के पत्तनों तक ले जाने के लिए उपकरणों के लिए आवश्यक खेल कूद उपकरण और सेवाओं का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से खेलकूद उपकरणों के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा लिखते हैं जिससे कि आप संबद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या वह सीधे क्रय या सीमित खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इस मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया ।

(घ) भारत का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत-भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि

(ज) यह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकारी पत्र की आवश्यकता है।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) जापानी संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सैटों की संख्या और निपटान का संकेत करें (प्रत्येक सैटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ढ) पोतपरिवहन अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।

(ण) भारत में आयात के बैंक का नाम और पता ।

(त) बैंक आफ इंडिया टोकियो के बैंकिंग प्रभारों को कौन वहन करेगा आयातक या संभरक, कृपया निर्दिष्ट करें ।

(थ) आयातक द्वारा वचनबद्धता —हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धन-राशि के समतुल्य रुपए की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचा-लित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।

भवदीय

(लेखा अधिकारी)

अनुबन्ध-2

संख्या

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—1986-87 के लिए 38 मिलियन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के पत्तनों तक ले जाने के लिए उपकरणों के लिए आवश्यक खेलकूद उपकरण और सेवाओं का आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

महोदय

आपके बैंक के पास दिनांक को किए गए करार के नियम और शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा मैसर्ज ( ) को परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार येन तक की धनराशि को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद, आपको ——————————(आयातक के बैंकर का नाम और पता) को सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेजों (परा-क्राम्य) और उसके साथ-साथ दस्तावेजों के अतिरिक्त पूरे सैट और यदि कोई तत्क्षण भुगतान किया गया हो तो उसके सहित संभरक को किए गए भुगतान के ऋण बीजक की एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों और आयातक द्वारा देय विदेशी संभरक बैंकर के प्रभार यदि कोई हो तो, सीधे ही आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र——————तक वैध रहेगा।

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और भुगतान दर्शाने वाले बीजक में भी भुगतान के लिए इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या को कोट करें।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रति प्रेषित है :—

1. आयातक ——————को उनके पत्र सं. ——————दिनांक —————— के संदर्भ में। उनसे अनुरोध किया जाता है कि बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपए निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा-शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त करनी हो तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए। शीघ्र हो और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

2. आयातक का बैंकर ——————

(1) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाली संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। लाइसेंसिंग शर्तों और संबद्ध सार्वजनिक सूचनाएं और आदेश आदि का अवलोकन किया जाए और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोक्यो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर आयानी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं.-8 आ टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा-प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि तक सरकार के लेखे में मूल्य रुपया जमा करने की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं.-31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और सं. 35-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12% दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी। सार्वजनिक सूचना सं. 230-आई टी सी (पी ए)/85-88, दिनांक 20-7-87 के अनुसार आयातक द्वारा

जमा किया जाने वाला रुपया, नजदीक-रुपए के लगभग होगी । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल से दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है ।

3. ये धनराशियां या तो चालान के दाहिने कोने में कोड नं. 513000009 को दर्शाते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी-दिल्ली में जमा करानी चाहिए या स्टेट बैंक की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (आदेशिती और अदाता के नाम में और उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के-डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस-843 डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसैक्ट्रा अब्राड परचेजिस अन्डर ग्रांट एंड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1986-87" और विस्तृत लेखा शीर्ष" "राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान द्वारा खेलकूद उपकरण/सेवाओं की खरीद के लिए 38 मिलियन येन की अनुदान सहायता"

4. जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 13 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

5. जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करता है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा विभाग को भेजना चाहिए ।

6. समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

7. विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के कर्तव्य और जिम्मेवारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए डी परिपत्रों में निर्धारित है । इस संबंध में विशेष संदर्भ ए डी परिपत्र सं. 22, दिनांक 18-6-77 का दिया जाता है।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 216 ITC (PN)|85-88

New Delhi, the 29th September, 1987

Subject :—Licensing conditions for import of sports equipment from Japan under the Japanese grant aid of Yen 38 million for the year 1986-87.

File No. IPC|23 (38) |85-88.—The terms and conditions for import of sports equipment from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 38 million for the year 1986-87 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Sd|-

R. L. MISRA,
Chief Controller of Imports and Exports.

S. P. DHUPAR,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

Appendix to the Ministry of Commerce Public Notice No. 216 ITC (PN) |85-88 dated 29-9-87

Licensing Conditions for import of supports equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1986-87 of Yen thirty eight million (Yen 38,000,000).

Section I General Conditions

I. (i) The Japanese Grant Aid for 1986-87 of Yen 38 million (C&F) is intended to be used for financing payments to Japaneses Suppliers for import of sports equipment and services necessary of the transportation thereof to ports in India, by the National Institutes of Sports.

I (ii) The import licences should be issued for an aggregate amount not exceeding Yen 42 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 38 million Japanese Grant Aid for 1986-87". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN".

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the

agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I (v) The import licences will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1988.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1988".

I (vii) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the ffeight will be payable on autual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese Juridical persons controlled by Japanese nationals. A certificate (in duplicate) showing the eligibility of the supplier should be added to each contract.

Section II :—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 10th August, 1987 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 38 million for 1986-87 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1986-87.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III :—Contract Approval by Governments of India and Japan.

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the under Secretary (T.A.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of AP" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1986-87 of Yen 38 million and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV. Responsibility for rupee deposit.

IV (i) The Original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure-I who should released these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12% per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC (PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC (PN)-83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposited is made into Government account Vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC (PN)|76 dated 12-10-1976 in terms of Public Notice No. 230-ITC (PN)|85-88 dt. 20-7-87 the rupee deposites to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC (PN) |76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Governmest account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further "A|P" to him may be stopped. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances 8443-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1986-87 Grant for purchase of sports equipment|services by the National Institute of Sports :—

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No.5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payble to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-1968. No. 233-ITC-(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971. No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-974 and No. 103-ITC (PN)|76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the Challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans:—

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and Date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V : Miscellaneous provisions.

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid:—

The importers should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V (ii) The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V (iii) Disputes.—

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V (iv) Future Instructions:—

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1986-87 from Japan.

V (v) Breach or violation :—

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V (vi) List of Annexures :—

Annexure I :—Request for issue of A|P

Annexure II :—Form of A|P.

Annexure-I

REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY.

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Ist Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Import of sports equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 38 million for 1986-87.

Sir,

In connection with the import of sports equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

(a) Name and address of Indian importer.

(b) Number date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Number and date of the contract with Japanese Suppliers.

(j) Name and address of the Japanese Supplier.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partishipment permitted or not permited).

(o) Name and address of the importer's bank in India.

(p) Who will bear the banking charges of the B.O.I, Tokyo importer or supplier, please specify.

(q) Undertaking by the importer:— "we hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the

goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

Authorisation to Pay No.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs.)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject :—Import of the sports equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 38 million for 1986-87. Issue of Authorisation to pay.

Dear, Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 27.11.1982 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen.... ......to M|s. .. as per details given in the appendix.

2. Please advise the supplier of the fact of receipt of this Authorisation to pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank. Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shippping documents as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to.......... (Name and address of importers Banker) the original shipping documents negotiable as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Banking charges including charges for handling documents and charges of overseas suppliers, Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importers' bank.

7. No. amendment to this A|P may be adviesd in the absence of a specific Authority from this Ministry.

8. This A|P will remain valid upto............

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer ....with reference to their Letter No................ dated .... They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the licensing conditions.

2. Importers' Banker ....

(i) This Authorisation to Pay is issued under the relevant Licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices|order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import|foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of the documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India's account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-1983 and No. 35|ITC (PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the date on which rupee deposit is made into the Government account (any change in this rate will be notified if and when made). In terms of Public Notice No. 230-ITC(PN)|85-88 dt. 20-7-87, the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with RCI, New Delhi indicating Code No. 5130000009, on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by

means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC (PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)|76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is 'K-Deposits & Advances-8443-CIVIL Deposits-Deposit for purchases etc. abroad-purchases under Grant Aid from Govt. of Japan' for 1986-87 under detailed head "Yen 38 million grant aid for purchases of sports equipment|services by the National Institute of sports".

(iv) One copy of the Challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968. mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the B.O.I., Tokyo.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in foreign exchange are prescribed in various AD Circulars of the R.B.I. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dated 18-6-1977.

3. Embassy of India, Tokyo.

4. The Under Secretary (Japan Section), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi with reference to I. D. No................ dt.............

( )

Accounts Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054. 1987